उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या– H84364 /C-4/SA-II-639/EC/2022 दिनांक– 18/11/2022

To,

The Registrar General,
Hon'ble National Green Tribunal,
New Delhi.

Sub:-The Action taken report in the matter of EA No.- 31/2021 in O.A. No.- 1035/2019 Madhavdas Vs State of Uttar Pradesh & Ors. dated 25.03.2022 passed by Hon'ble NGT.

Sir,

The Hon'ble NGT passed the order dated 25.03.2022 in EA No- 31/2021 in OA no.- 1035/2022 Madhavdas Vs State of Uttar Pradesh & Ors. The operative portion of order is as under:-

------7. *Accordingly, we direct the Chairman State PCB to look into the matter and ensure remedial action against the concerned erring officers of the State PCB for patent misconduct shown above. The unit be not allowed to operate till compensation is recovered for the past violations and requisite enclosures and air pollution control devices are installed so as to prevent air pollution. Such compliance may be ensured by the Member Secretary, State PCB within one month. An action taken report be filed by email with the Registrar General of NGT within two months. If found necessary, the same be placed before the Bench for further orders.*

Subject to above, the application is disposed of.

Please find here with the action taken report in compliance of the above Hon'ble National Green Tribunal direction.

Yours Sincerely

Enclosure- As above

(Ajay Kumar Sharma)
Member Secretary

Additional Action taken report in the matter of EA No.- 31/2021 in O.A. No.- 1035/2019 Madhavdas Vs State of Uttar Pradesh & Ors. dated 25.03.2022 passed by Hon'ble NGT

The Hon'ble NGT has passed an order dated 25.03.2022 in EA No- 31/2021 in OA no.-1035/2022 Madhavdas Vs State of Uttar Pradesh & Ors. The operative portion of order is as under:-

------7. Accordingly, we direct the Chairman State PCB to look into the matter and ensure remedial action against the concerned erring officers of the State PCB for patent misconduct shown above. The unit be not allowed to operate till compensation is recovered for the past violations and requisite enclosures and air pollution control devices are installed so as to prevent air pollution. Such compliance may be ensured by the Member Secretary, State PCB within one month. An action taken report be filed by email with the Registrar General of NGT within two months. If found necessary, the same be placed before the Bench for further orders.

Subject to above, the application is disposed of.

In compliance of the above Hon'ble NGT direction, the point wise status report is as below:

1- In compliance of the Hon'ble NGT order dated 21.12.2021 in OA No. 93/2021 (I.A. No.- 217/2021) Mukesh Kumar Agrawal Vs Central Pollution Control Board and Ors. the action has already been taken against the concerned erring Officers of U.P. Pollution Control Board. Shri Arvind Kumar, then Regional Officer U.P. Pollution Control Board, Mathura had been suspended and Shri R.K. Singh Chief Environmental Officer, Cirlce-4 had been shifted from that Circle due to negligence of duties. The copy of the letters are enclosed as Annexure-I.

2- The site of unit M/s Agrariya Agro Products Pvt. Ltd., Khasra No.- 286, Nagriya Guheta 10 Visa, Kosi Kala, Chhata, Mathura was latest inspected on 14.11.2022 by the Officers of Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Mathura. As per the inspection report the unit has constructed a covered shed to house the cotton extracting machine and has installed bag filter with stack and water sprinkling system as air pollution Control systems.

3- As per the report, the unit M/s Agrariya Agro Products Pvt. Ltd., Khasra No.- 286, Nagriya Guheta 10 Visa, Kosi Kala, Chhata, Mathura was not in operation so the stack monitoring could not be conducted to assess the efficiency of the air pollution control devices. The copy of the inspection report is enclosed as Annexure-II.

4- The Environmental Compensation of Rs. 1,05,000/- (Rs. One lac Five thousand only) has been imposed against the unit M/s Agrariya Agro Products Pvt. Ltd., Khasra No.- 286, Nagriya Guheta 10 Visa, Kosi Kala, Chhata, Mathura by U.P. Pollution Control Board, Lucknow vide letter No. H82372/C-4/SA-II-639/EC/2022 dated 27.05.2022 which has been fully deposited by the unit.

5- Earlier the action taken report vide letter no.- 1119/O-50/2022 dated 18.10.2022 was filed by Regional Officer, U.P. Pollution Control Board Mathura to the Registrar, National Green Tribunal, Principle Bench, New Delhi. The copy is enclosed as Annexure-III)

This additional action taken report is being submitted for perusal and consideration.

(Ajay Kumar Sharma)
Member Secretary

Annexure - I

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी.सी.–12वी., विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ

संख्या– 637539/ए.एस.कैम्प–62/2022 दिनांक– 25-02-22

निलम्बन आदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–93/2021 (आई.ए.नं0–217/2021) मुकेश कुमार अग्रवाल बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के अंतर्गत दिनांक 21.12.2021 को पारित आदेश का अवलोकन करना चाहें। उक्त आदेश के प्रस्तर–16 के सुसंगत अंश निम्नानुसार हैं:–

> "As alreadey mentioned, the State PCB has miserably failed to monitor compliance of consent conditions, ambient air and stack monitoring, siting criteria as well as compliance of environmental norms. Such lapse on the part of the State PCB has resulted in serious damage to the environment and public health. The Chairman, State PCB needs to take action against such failure, including the erring officers of the State PCB posted in the area."

उपरोक्त से स्पष्ट है कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा में क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में तैनात श्री अरविन्द कुमार, वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–93/2021 (आई.ए.नं0–217/2021) मुकेश कुमार अग्रवाल बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के अंतर्गत समय–समय पर पारित आदेशों का ससमय अनुपालन सुनिश्चित नहीं कराये जाने के दृष्टिगत ही मा0 अधिकरण द्वारा राज्य बोर्ड के संबंध में उपरोक्त टिप्पणी की गई है।

श्री अरविन्द कुमार का उक्त कृत्य उनके पदीय गरिमा एवं उ0प्र0 सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 (यथासंशोधित) के नियम–3 के प्रतिकूल है एवं इससे मा0 अधिकरण में राज्य बोर्ड की छवि धूमिल हुई है।

इस प्रकार श्री अरविन्द कुमार द्वारा परम सत्यनिष्ठा तथा कर्तव्यपरायणता से कार्य नहीं किया गया। अतः श्री अरविन्द कुमार के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम–3 (यथा संशोधित) के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

2. निलम्बन की अवधि में श्री अरविन्द कुमार को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग–2 के मूल नियम–53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि, अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा इन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश पर देय है, भी अनुमन्य होगा। यदि श्री अरविन्द कुमार को निलम्बन से पूर्व या प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं है, तो उस स्थिति में इन्हें जीवन निर्वाह के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा। निलम्बन के दिनॉक से प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की

---2/पर.

अवधि में इस शर्त के साथ देय होंगे कि जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।

3. उपर्युक्त प्रस्तर–2 में उल्लिखित मदों का तभी भुगतान किया जाएगा जब श्री अरविन्द कुमार द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर दिया जाएगा कि वे किसी अन्य सेवा, योजना, व्यापार, वृत्ति/व्यवसाय में नहीं लगे हैं।

4. निलम्बन की अवधि में श्री अरविन्द कुमार उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध रहेंगें।

5. श्री अरविन्द कुमार के विरूद्ध संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही की जांच हेतु श्री राम गोपाल, मुख्य पर्यावरण अधिकारी, बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया जाता है।

(जे0पी0एस0 राठौर)
अध्यक्ष

पृ0सं0 एवं दिनॉकः उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4।
2. श्री राम गोपाल, मुख्य पर्यावरण अधिकारी/जांच अधिकारी।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।
4. संबंधित के नाम से/वैयक्तिक पत्रावली हेतु।
5. श्री देव कुमार गुप्ता, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, मथुरा को इस निर्देश के साथ कि वह अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान कार्यो के साथ–साथ क्षेत्रीय अधिकारी, मथुरा के समस्त कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करें।
6. श्री देव कुमार गुप्ता, सहायक पर्यावरण अभियन्ता की वैयक्तिक पत्रावली हेतु।
7. लेखा–प्रभारी।
8. पत्रावली संख्या–ओ.ई.–1/2022 एवं ओ.ई.–2/2022 में अभिलेखार्थ।
9. गार्ड फाईल।

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी.सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक :- G 375-40 /ओ0ई0–1/2022 दिनांक : 25-02-2022

कार्यालय–ज्ञाप

एतद्द्वारा सक्षम अधिकारी की अनुमति से "बोर्ड" मुख्यालय के कार्यों के सुचारु निष्पादन के उद्देश्य से मुख्यालय पर कार्यरत निम्नानुसार अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष अंकित वृत्त में तैनात /प्रभार सौंपा जाता है:–

क.सं.	नाम एवं पदनाम	तैनाती स्थल
1.	श्री राम कुमार सिंह, मुख्य पर्यावरण अधिकारी	वृत्त–6
2.	श्री प्रदीप शर्मा, पर्यावरण अभियन्ता	प्रभारी–वृत्त–4

उपरोक्त आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

/
(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

पृ0सं0 एवम् दिनांक : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष महोदय के निजी सहायक।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी–(वृत्त–4/6)
3. बोर्ड मुख्यालय के समस्त नियंत्रक अधिकारी/समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी(प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
4. संबंधित अधिकारियों के नाम से/वैयक्तिक पत्रावली हेतु।
5. लेखा–प्रभारी।
6. गार्ड फाईल।

सदस्य सचिव

Annexure - II

वेब साइटः www.uppcb.com
ई–मेल :- romathura@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board
भवन सं0–65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड, मथुरा

पत्रांकः 1254/A-179/2022 दिनांक 14/11/22

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः– मै0 अग्ररारिया एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा0लि0, खसरा सं0–286, गुहेता 10विसा, छाता, जनपद–मथुरा के सम्बन्ध में आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में उपरोक्त वर्णित उद्योग का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 14.11.2022 को किया गया। निरीक्षण आख्या पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

[signature] 14/XI/2022

(डॉ0 योगेन्द्र कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

मै0 अग्रारिया एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा0लि0, खसरा सं0–286, गुहेता 10विसा, छाता, जनपद–मथुरा के सम्बन्ध में आख्या।

बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में उपरोक्त वर्णित उद्योग का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 14.11.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री माधव अग्रवाल उपस्थित थे। विस्तृत आख्या का विवरण निम्नवत है–

1. उपरोक्त वर्णित उद्योग खसरा सं0–286, नगरिया गुहेता 10विसा, दौताना रोड, कोसी कला, तहसील–छाता, जनपद–मथुरा में वर्ष 2018 से स्थापित है। उद्योग का वर्तमान भू–प्रयोग धारा–80 राजस्व संकिता 2006 के अन्तर्गत अकृषक घोषित है। निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत नहीं पाया गया।
2. उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में रॉ कपास का प्रयोग करके कॉटन जिगिंग 08 नग मशीन द्वारा कपास से रूई एवं बीज निकालने का कार्य किया जाता है। कपास से बीज निकालने के बाद शेष रूई को टेक्सटाइल यूनिटों को बेच दिया जाता हे जबकि कपास के बीज की पेराई करके उससे तेल निकालने का कार्य भी किया जाता है। उद्योग का मुख्य उत्पाद बीज रहित कपास (रूई) व तेल है जबकि कपास के बीज की खली सह उत्पादन के रूप में प्राप्त होता है। उक्त इकाई में उत्पादन कार्य मात्र सीजन के दौरान ही किया जाता है। उक्त इकाई एक सीजनल इकाई है।
3. सन्दर्भित उद्योग का अक्षांश–27.782634 एवं देशान्तर–77.482429 है। संदर्भित उद्योग (कॉटन जिनिंग से लगभग 84 मी0 की दूरी पर दक्षिण–पूर्व दिशा में आश्रम स्थित है, जिसमें ईंट निर्मित चार दीवारी का निमार्ण है। रोड़ की तरफ से दीवार के साथ 50 मी0 की चौड़ाई की हरित पट्टिका वायु रोधक दीवार के रूप में विकसित की गयी है। अन्य के अतिरिक्त तीनों दिशाओं में कृषि युक्त खाली भूमि है।) निरीक्षण के समय लिए गये फोटो ग्राफ संलग्न हैं।

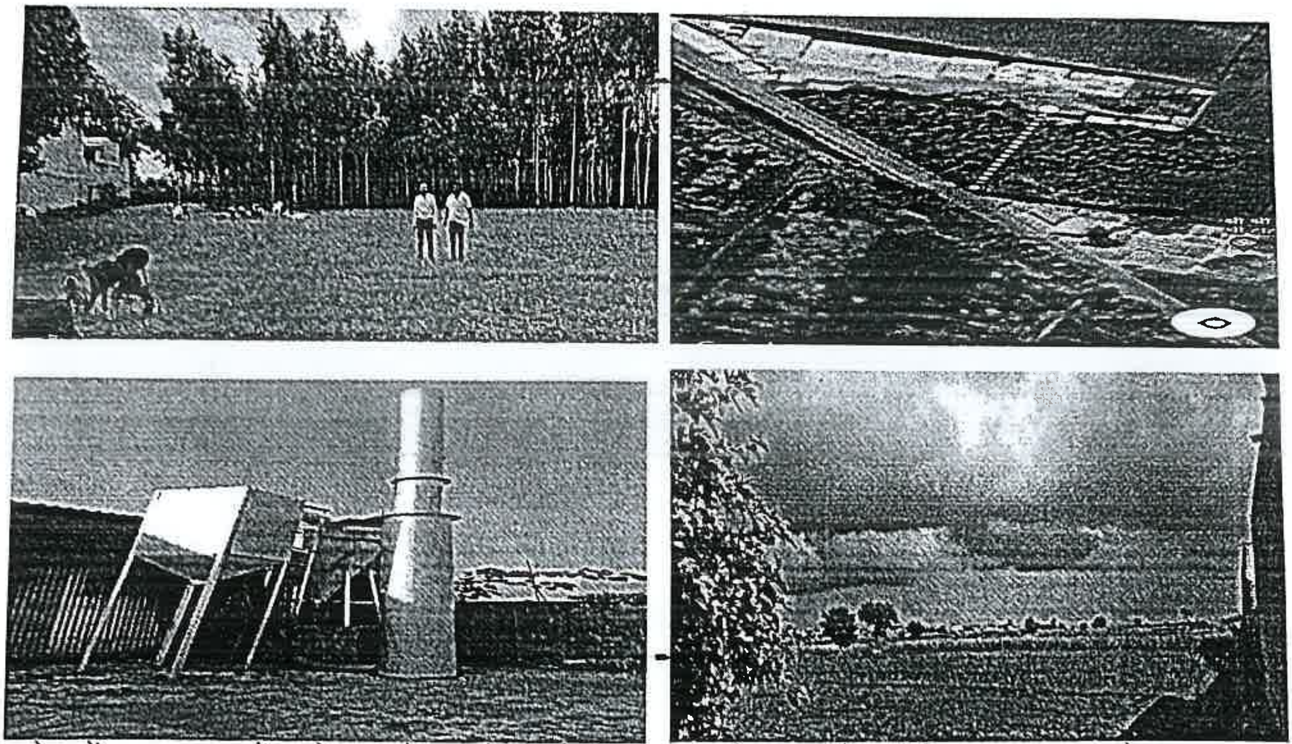

4. उद्योग में जल का प्रयोग केवल घरेलू प्रयोजनार्थ किया जाता है उक्त के अतिरिक्त जल का प्रयोग अल्प मात्रा में स्प्रिंकिलिंग हेतु किया जाता है।
5. उद्योग द्वारा कपास से बीज निकालने के दौरान प्रक्रिया बन्द शेड़ में स्थापित है। उद्योग में वायु प्रदूषण नियत्रंण व्यवस्था के रूप में बैग फिल्टर व वाटर स्प्रिंकिलिंग सिस्टम स्थापित है। बैग एसेम्बली को चिमनी से सम्बद्ध किया गया हैं। निरीक्षण के दौरान उद्योग बन्द होने/नियमित रूप से संचालित न होने के कारण वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जॉच नहीं की जा सकी, उद्योग नियमित रूप से संचालित होने पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की दक्षता का ऑकलन किया जाना सम्भव हो सकेगा।
6. उद्योग को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 23.01.2019 द्वारा सशर्त सहमति (जल/वायु) निर्गत की गयी थी जो कि दिनांक 31.03.2020 तक वैध थी। उद्योग द्वारा सहमति जल/वायु में निहित शर्तो को अनुपालन न होने के कारण बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक एच13647/सी–4/सां–II–639/बन्दी आदेश/2019, दिनांक 13.11.2019 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया था, जिसके अनुक्रम में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मथुरा ने अपने पत्रांक 17235/वि0वि0खण्ड–II/कोसी, दिनांक 06.12.2019 द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 05.12.2019 को वर्णित उद्योग की विद्युत आपूर्ति विच्छेदित कर दी गयी थी।

...2....

संदर्भित उद्योग द्वारा बन्दी आदेश के अनुपालन में अपना प्रार्थना पत्र दिनांक 27.11.2019 एवं संयुक्त टीम जिला प्रशासन, मथुरा के साथ स्थलीय निरीक्षण दिनांक 03.01.2020 के उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 1079/एन0ओ0सी0–1250/2020 दिनांक 09.01.2020 पर विचारोपरान्त संदर्भित उद्योग को बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक एच46398/सी–4/सा–II–639/2022, दिनांक 15.01.2020 के माध्यम से पूर्व निर्गत बन्दी आदेश दिनांक 13.11.2019 को सशर्त निक्षेपित किया गया।

8. उद्योग के विरूद्ध श्री माधव दास द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में 1035/2019 दिनांक 17.12.2019 के माध्यम से शिकायत की गयी थी। उक्त के अनुपालन में मा0 न्यायालय ने जिलाधिकारी महोदय व क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा से रिपोर्ट मांगी गयी थी। तत्क्रम में उपजिलाधिकारी, छाता, सचिव मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा, सी0ओ0 पुलिस, छाता, अग्निशमन अधिकारी, उपायुक्त उद्योग, उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, मथुरा एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा द्वारा की संयुक्त टीम द्वारा संयुक्त निरीक्षण दिनांक 01.10.2020 को किया गया था। संदर्भित उद्योग द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से सहमति जल/वायु आवेदन किया गया था। आवेदन के अनुपालन में उद्योग को कार्यालय द्वारा दिनांक 06.10.2020 के माध्यम से सशर्त सहमति जल/वायु अवधि 31.03.2021 तक निर्गत की गयी थी। संदर्भित उद्योग द्वारा सहमति जल/वायु में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन न होने की दशा में मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या 1035/2019 माधव दास बनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.10.2021 के अनुक्रम में कार्यालय द्वारा दिनांक 25.01.2022 के माध्यम से नोटिस प्रेषित किया गया था। तत्क्रम में उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का समुचित संचालन सुनिश्चित करते हुए उद्योग द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से सहमति जल/वायु आवेदन दिनांक 16.07.2021 को किया गया। संदर्भित उद्योग को इस कार्यालय द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संतोषजनक होने के उपरान्त सशर्त सहमति जल/वायु दिनांक 03.08.2021 के माध्यम से अवधि 31.03.2026 तक निर्गत की गयी है।

8. संदर्भित उद्योग को प्राधिकरण द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये एवं निर्मित भवन का उपयोग मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण महायोजना 2021 भाग–ख के विरूद्व उपयोग में लाये जाने के कारण वाद संख्या–656/18–19 एवं 354–2019–2020 योजित करते हुए प्राधिकरण विकास अधिनियम, 1973 की धारा 28–क(1) के अन्तर्गत दिनांक 27.01.2020 को सील बन्द की कार्यवाही की गयी। तत्क्रम में उद्योग के विरूद्व दिनांक 07.09.2020 को लागू शमन योजना–2020 के अन्तर्गत रू0 3.50 लाख की धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा की गयी। कार्यालय मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा के पत्रांक 735/म0वृ0वि0प्रा0/2020–21 दिनांक 07.09.2020 के अन्तर्गत उद्योग में सील बन्द परिसर को मुक्त करने के आदेश पारित किये गये हैं (छायाप्रति संलग्न)।

9. शिकायतकर्ता द्वारा उद्योग के विरूद्ध की गयी शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण पब्लिक न्यूसन्स के दृष्टिगत धारा–133 के अन्तर्गत उप जिलाधिकारी, तहसील–छाता, जनपद–मथुरा में वाद सं0–00374/2018 पंजीकृत हुआ था, जिसे अभिलेखों एवं निरीक्षण आख्याओं के आधार पर उप जिलाधिकारी, छाता, मथुरा द्वारा विचारणीय नहीं पाया गया था तथा न्यायालय द्वारा जारी सशर्त आदेश/नोटिस धारा–133(1)दं0प0सं0 दिनांक 18.12.2018 वापस लिया जाता है और इस वाद की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है तथा आदेश की प्रमाणित प्रति सम्बन्धित थानाध्यक्ष, कोसी कला को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी थी (छायाप्रति संलग्न)।

10. सन्दर्भित उद्योग केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों की श्रेणी में सफेद श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है उद्योग में 01 नग डी0जी0 सेट क्षमता–63.5 केवीए एकॉस्टिक एन्क्लॉजर सहित स्थापित होने के कारण हरी श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित था। अद्यतन निरीक्षण दिनांक 15.09.2022 को उक्त डी0जी0 सेट को स्थल से हटा लिया गया। उक्त उद्योग स्थल टी0टी0जेड0 की सीमा से बाहर है।

11. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–1035/2019 माधव दास बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में दिनांक 25.03.2022 को आदेश पारित किए गये, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् है–

"Accordingly, we direct the Chairman State PCB to look into the matter and ensure remedial action against the concerned erring offiers of the State PCB for patent misconduct shown above. The unit be not allowed to operate till compensation is recovered for the past violations and requisite enclosures and air pollution control devices are installed so as to prevent air pollution. Such compliance may be ensured by the Member Secretary. State PCB within one month. An action taken report be filed by email with the Registrar General of NGT within two months. If found necessary, the same be placed before the Bench for forther orders.

Subject to above, the application is disposed of."

उक्त पारित आदेशों के अनुपालन में उद्योग पर राज्य बोर्ड द्वारा रू0–105000/–मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया था, जिसे उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड के अधिकृत एकाउण्ट में जमा करा दिया गया है।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

(कुँवर सन्तोष कुमार)
सहा0 पर्या0 अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

वेव साइट: www.uppcb.com
ई–मेल :- romathura@uppcb.in

Annexure - III

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board

भवन सं0–65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड, मथुरा

पत्रांक: 1119/0-50/2022 दिनांक 18/10/22

To,

The Registrar,
National Green Tribunal
Principal Bench, New Delhi.

Subject- A Action taken report in compliance of order dated-25.03.2022 in O.A. No.-1035/2019 "Madhav Das V/s State of Uttar Pradesh & Ors."

Respected Sir,

In the above noted case, Hon'ble Tribunal has given direction as below :-

"Accordingly, we direct the Chairman State PCB to look into the matter and ensure remedial action against the concerned erring officers of the State PCB for patent misconduct shown above. The unit be not allowed to operate till compensation is recovered for the past violations and requisite enclosures and air pollution control devices are installed so as to prevent air pollution. Such compliance may be ensured by the Member Secretary, State PCB within on month. An action taken report be filled by email with the Registrar General of NGT within two months. Found necessary, the same be placed before the Bench for further orders.

Subject to above, the application is disposed of."

In the compliance of above direction, The Environment Compensation has been imposed on the industry is annexed as annexure-1 and recovered of such Environment Compensation amount by UPPCB is annexed as annexure-2 and besides this the Air pollution control devices has been installed by the industy.

Accordingly A action taken report is being submitted along with the present letter for kind perusal and further action in this regard.

Your faithfully,

18/X/2022

Regional Officer

C.C :-

1. Member Secretary, UP Pollution Control Board, Lucknow.
2. District Magistrate, Mathura.

Regional Officer

Office Letter Head. D

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत.

पत्रांक: H82372/सी–4/सा–।।–639/पर्या0क्षति0/2022 दिनांक 27-9-22

सेवा में,

मै0 अग्रारिया एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा0लि0,
खसरा सं0–286, नगरिया गुहेता 10 विसा,
कोसी कलां, तहसील–छाता,
जनपद–मथुरा।

विषय : पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्षेत्रीय अधिकारी, मथुरा के पत्रांक–928/0–50/2022, दिनांक 15.09.2022 के माध्यम से प्रेषित निरीक्षण आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–1053/2019 माधव दास बनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.03.2022 एवं मुख्यालय के पत्रांक–एच78816/सी–4/सा–।।/6639/2022, दिनांक 21.07.2022 के अनुक्रम में मै0 अग्रारिया एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा0लि0, खसरा सं0–286, नगरिया गुहेता 10 विसा, कोसी कलां, तहसील–छाता, जनपद–मथुरा का निरीक्षण दिनांक 15.09.2022 को उद्योग प्रतिनिधि श्री माधव अग्रवाल (निदेशक) एवं श्री रमेश, चौकीदार की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग दिनांक 25.01.2022 से बन्द है तथा निरीक्षण के समय भी उद्योग में उत्पादन कार्य बन्द पाया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, मथुरा द्वारा उद्योग से प्राप्त वांछित सूचना/प्रपत्र के अनुसार संदर्भित उद्योग का संचालन दिनांक 20.09.2019 से 30.09.2019 तक एवं दिनांक 01.11.2020 से 10.11.2020 तक के अनुसार कुल 21 दिनों की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी आख्या प्रेषित की गई है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–1053/2019 माधव दास बनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.03.2022 के अंश निम्नवत् हैः–

"The unit be not alowed to operate till compensation is recovered for the past violations and requisite enclosures and air pollution control devices are installed so as to prevent air pollution."

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, मथुरा द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 15.09.2022 के अनुक्रम में मै0 अग्रारिया एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा0लि0, खसरा सं0–286, नगरिया गुहेता 10 विसा, कोसी कलां, तहसील–छाता, जनपद–मथुरा के विरुद्ध दिनांक 20.09.2019 से 30.09.2019 तक एवं दिनांक 01.11.2020 से 10.11.2020 तक के अनुसार कुल 21 उल्लंघन दिवसों हेतु रू0 1,05,000/– (रूपया एक लाख पाँच हजार) मात्र पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।

AEE
27/9

अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के बैंक खाता सं0–701502010002104 IFSC Code UBIN0570150 में एक

टी.सी.–12वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

T.C.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, मथुरा एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

(प्रदीप शर्मा)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राज्य बोर्ड के खाते में जमा कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

Annexure-2

प्राप्त [signature] 28/9/22

दिनांक - 28/9/22

सेवा में,

श्रीमान क्षेत्रिय अधिकारी
प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
महोली रोड मथुरा

विषय :- पत्रांक: संख्या 82372/सी-4/नो-11-639/पर्या० अनु०/2022 दिनांक 27/9/22 के संदर्भ में.

महोदय,

मेरे द्वारा 105000/- (~~अक्षरण~~ एक लाख पाँच हजार रुपया मात्र उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के खाते बैंक ऑफ इण्डिया विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के बैंक खाता संख्या 701502010002104 IFSC Code UBIN0570150 में जमा कर दिया है।

AEE [signature]

Manoj [signature]
प्रार्थी

अग्रवालिया रबड़ प्रोडक्ट
प्रा० लि० खसरा 286
नगरिया दल सिंह कोसी
कलाँ मथुरा

ICICI Bank

Receipt

Date : 28-Sep-2022, 12:26pm

Reference ID : 933392365
From Account : 182005000462
From Account Name : AGRARIYA AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
To Account : 701502010002104
To Account Name : uppcb
Amount : 1,05,000
Date : 28-Sep-2022, 12:26pm
Remarks :